

प्रेषक,

यशस्पति मिश्र,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।  
 निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।  
 निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।  
 निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना।  
 निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग, पटना।  
 निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना।  
 सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।  
 सभी सिविल सर्जन, बिहार।  
 सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।  
 अधीक्षक, सभी सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल।  
 उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।  
 उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।  
 सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी।  
 सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।  
 अपर निदेशक-सह-नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया/कुष्ठ एवं यक्ष्मा।  
 सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी।  
 निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना/दरभंगा।  
 सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार।  
 अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।  
 अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।  
 अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।  
 अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी।  
 अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना/गया।  
 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रा0स्वा0केन्द्र/सभी रेफरल अस्पताल।  
 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना।  
 संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना।  
 अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर।

पटना, दिनांक:- 19-02-16


विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटित राशि से बचत राशि का प्रत्यर्पण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में शीर्षवार वेतनादि एवं अन्य मदों में किये गये आवंटन से अगर राशि बचत की संभावना है तो उक्त राशि का प्रत्यर्पण कोषागार के माध्यम से यथाशीघ्र समय पर किया जाय, ताकि उक्त प्रत्यर्पित राशि का आवंटन जिस जिला/संबंधित संस्थान को आवश्यक है उसे राशि आवंटित किया जा सके। स्मरणीय है कि निधि की व्यवस्था हेतु CTMIS पर आपकी आवंटित राशि खर्च की जा चुकी होनी चाहिए अन्यथा पुनर्विनियोग से राशि की व्यवस्था कराने में बचत राशि उपलब्ध रहने की स्थिति देखकर, निधि प्राप्त नहीं होती है। अतः बचत राशि का कोषागार के माध्यम से प्रत्यर्पण कराकर विभाग को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित किया जाय अन्यथा इसकी पूरी जबावदेही आपकी होगी।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,



(यशस्पति मिश्र)

सरकार के उप सचिव।